न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **46/2012** (आवंटन निरस्ती)

श्री फतहसिंह पिता मोहनसिंह चुण्डावत, निवासी वाजमियॉ, तहसील वल्लभनगर

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्रीमती वरदी (पिता गुलाब जी) पत्नि रामा खटीक, निवासी बड़गॉव, तहसील वल्लभनगर
2. श्रीमती कस्तूरी (पिता गुलाब जी) पत्नि डालचन्द खटीक, निवासी गारियावास, मावली, तहसील मावली
3. श्रीमती हगामी (पिता गुलाब जी) पत्नि धुला खटीक, निवासी गूपड़ी, तहसील वल्लभनगर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवन्टन नियम 1970

उपस्थितिः–	1– श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी 2– श्री ललित जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 3 3– श्री मानाराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 4– मनोज कुमार पॅवार, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4

निर्णय

दिनांकः 04.06.18

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियमन) के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुन्डोल तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी संख्या 11/1 मी. रकबा 1 बिघा भूमि दिनांक 16.12.78 को मु. रूपाबाई बेवा गुलाब जी खटीक निवासी मुन्डोल को आवंटित की गई जो आवंटन मिसल नम्बर 336/78 से आवंटन किया गया। उक्त आवंटीत भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 216 से आवंटी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। जो आवंटन के नियमो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं।

आवंटन के पूर्व ना तो कोई मिसल कायम हुई ना विधिवत फार्म भरा गया। ना अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची बनायी गई ना मौके की कोई जॉच की गई। जिससे कथित आवंटन नियमो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। उक्त आवंटित भूमि प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास में स्थित हैं जिस पर आवंटी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। वर्तमान में इस भूमि पर मवेशी चर रहे है आव ंटन के बाद रूपीबाई का कब्जा कभी भी नहीं रहा। उनके द्वारा आवंटन नियमो की पालना भी नहीं की गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारीस विपक्षी संख्या 1, 2, 3 भी शादी के बाद अपने अपने ससुराल में रह रही हैं। जिनका भी इस भूमि पर कब्जा नहीं हैं। रूपाबाई वक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार भी नहीं थी। किया गया आवंटन नियमो के विपरीत था। आवंटन की पत्रावली कायम नहीं होने से नकल भी प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में आवंटी रूपाबाई के वारीसान विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 द्वारा भूमि दलाल से मिलकर उक्त आराजीयात का अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु आमादा हैं। बाद में जिसे विक्रय हस्तान्तरण कराना चाहते हैं। अतः आवंटी मु. रूपाबाई के नाम मौजा मुन्डोल तहसील वल्लभनगर की आराजी संख्या 11/1 मी. रकबा 1 बिघा का कथित आवंटन आदेश 16.12.78 निरस्त फरमाया जावें एवं भूमि पुनः बिलानाम दर्ज करायी जाना फरमावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली भी तलब की गई। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी के पुर्वाधिकारी मु. रूपाबाई बेवा गुलाब जी खटीक को मौजा मुन्डोल की आराजी संख्या 11/1 मी. रकबा 1 बिघा भूमि दिनांक 16.12.78 को आवंटन हुई थी। परन्तु आवंटित भूमि पर रूपाबाई का कभी भी कब्जा नहीं रहा। उसके द्वारा आवंटन नियमो की पालना नहीं की गई। यह भूमि प्रार्थी के

खातेदारी भूमि के पास में हैं। जिस पर किसी का कब्जा नहीं होकर गॉव के मवेशी चर रहे हैं। वर्तमान में इस भूमि को मु. रूपाबाई के विधिक वारीसान विपक्षी संख्या 1, 2, 3 द्वारा अपने नाम पर दर्ज कराने बाद में भूमि दलालो के मार्फत विक्रय हेतु आमादा हैं। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2, 3 भी शादी के बाद अपने ससुराल में निवास करते हैं। आवंटन दिनांक को मु. रूपाबाई भूमिहीन काश्तकार नहीं थी। भूमि आवंटन के बाद आज दिनांक तक इस भूमि पर किसी का कब्जा नहीं रहा हैं। आवंटी द्वारा कभी भी कब्जा नहीं किया गया। कभी काश्त भी नहीं की गई। आवंटन नियमो की पालना नहीं की गई। आवंटीत भूमि पर कब्जा भी नहीं रहा। आवंटीत भूमि पर मवेशी चरते हैं। आवंटी कभी भी सद्भाविक काश्तकार नहीं रही। आवंटन भी नियमो के विपरीत किया गया। अतः मौके पर कब्जा नहीं होने से एवं आवंटन नियमो की पालना नहीं करने से किया गया आवंटन विपक्षीगणो के पूर्वाधिकारी मु. रूपाबाई बेवा गुलाबजी खटीक का आवंटन निरस्त कर पुनः बिलानाम दर्ज कराने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी 1, 2, 3 के पुर्वाधिकारी मु. रूपाबाई बेवा गुलाब जी खटीक निवासी मुन्डोल को मौजा मुन्डोल की आ.नं. 11/1 मी. में रकबा 1 बिघा का आवंटन दिनांक 16.12.78 को विधिवत किया गया। आवंटन पश्चात् मौके पर आवंटीत भूमि का कब्जा भी विधिवत दिया गया। आवंटन पत्रावली भी उपखण्ड कार्यालय वल्लभनगर से प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली हैं। जिससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि किया गया आवंटन नियमानुसार हुआ हैं। स्वर्गीय रूपाबाई बेवा गुलाब जी खटीक सद्भाविक काश्तकार रही। उसकी मृत्यु पश्चात् विरासत से भूमि नियमानुसार विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3 के नाम दर्ज होनी चाहिये। राजस्व अभिलेख में विरासत से भूमि दर्ज करने का दायित्व पटवारी का हैं। उसके द्वारा यदि दर्ज नहीं की गई है तो इसका दायित्व पटवारी का हैं। इसमें विपक्षीगण दोषी नहीं हैं। रूपाबाई की मृत्यु के पश्चात् इस भूमि पर हमारा ही कब्जा हैं। भूमि को काबिल काश्त बनाया गया हैं। 42 वर्ष पश्चात् आवंटन को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं

हैं। विपक्षीगण अनुसूचित जाती से आते हैं। जिन्हे आवंटन में भी प्राथमिकता हैं। आवंटन के इतने लम्बे समय के पश्चात् आवंटन निरस्ती के प्रार्थना पत्र पर सुना जाना भी न्यायोचित नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात न्यायालय का मत है कि आवंटन के 40–42 वर्ष पश्चात् आवंटन निरस्ती के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किया जाना न्यायलय उचित नहीं समझता हैं। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि आवंटन के समय आवंटन पत्रावली का संधारण नहीं किया गया। जबकि आवंटन की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से प्राप्त होकर संलग्न है जिसमें आवंटन के पश्चात् आवंटी को कब्जा भी सिपुर्द किया गया हैं। मुल आवंटन आदेश भी संलग्न लगा हुआ हैं। विपक्षी आवंटी अनुसूचित जाती के सदस्य हैं। जिसे आवंटन में भी वरीयता प्राप्त हैं। विपक्षी द्वारा अपने इस कथन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि है कि आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन काश्तकार थी।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर एवं तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर